राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६८१२/२००६

बाबू लाल बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:१६.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री जे आर चौधरी, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-१०८/२००६ पुलिस थाना-दूदू, जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा- १४३,३२३ व ४५२ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि उसे कानाराम का जवांई होने के कारण इस मामले में झूंठा लिप्त कर लिया गया है, वह तो घटना स्थल से ५० कि.मी. दूर निवास करता है तथा घटना के समय मौजूद ही नहीं था तथा उसके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि इस मामले में सह अभियुक्त हनुमान पुत्र राम चन्द्र का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, जिससे अभियुक्त-प्रार्थी का मामला भिन्न नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

इसी घटना में लिप्त सह अभियुक्त हनुमान पुत्र राम चन्द्र का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है , जिससे तथ्यात्मक दृष्टि से अभियुक्त-प्रार्थी का मामला भिन्न नहीं है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी

लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी बाबू लाल पुत्र स्व० लादू राम निवासी- ग्राम सुखिया मोहनपुरा थाना- सांगानेर सदर, जिला- जयपुर को पुलिस थाना- दूदू, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-१०८/२००६ में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **१०,०००/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **५,०००/- -- ५,०००/-(पांच-पांच हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

१. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
२. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
३. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।
४. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)